

**कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 251 /FP/UK/ROAD/47083/2020 दिनांक: देहरादून 26 जुलाई, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक ,
भारत सरकार पर्यावरण, वन
एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद- पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में खिरमाण्डे गणाई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.785 हे० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के ई०डी०एस० दिनांक 12.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में उक्त प्रकरण में ई०डी०एस० दिनांक 12.03.2021 को वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 262/12-1 दिनांक 23.07.2021 ऑनलाईन माध्यम से लगाई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है:-

क्र०सं०	आपत्तियाँ	निराकरण
1	In reply to point no-3 some other document found uploaded in place of geologist report. State govt. may upload the geologist report online.	भू- वैज्ञानिक की निरीक्षण आख्या Form-A के Part-I में अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दी गयी है।
2	In reply to point No. 4 following short commings were noticed and state government is required to make necessary corrections accordingly.	
(i)	No detailed is filled at para 2.4 in part I state govt. may provide the details of area proposed for muck disposal at para B 2.4 in component wise breakup in online part one.	Muck disposal area detail at para B-2.4 में component wise breakup के अनुसार पार्ट-1 में ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
(ii)	It has been mentioned in the muck disposal plan that 57.50% of muck will be utilized and 10% is natural disposal. the total of the both mentioned as 79% however it comes to 67.5% .	मलवा निस्तारण योजना पुनः तैयार कर अतिरिक्त सूचना के Serial No-40 में अपलोड कर दी गयी है।
(iii)	State govt. may verify whether the muck disposal area is proposed in non forest land only.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा निस्तारण योजना नॉन फारेस्ट लैंड में प्रस्तावित है। भू-स्वामी द्वारा अपनी सहमति दी गई है, जो राजस्व विभाग से प्रति हस्ताक्षरित है। सहमति पत्र अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दिया गया है।

(iv)	It has also been noticed that no muck disposal site selected after point No. 44 (Thanda pani) Till point No. 60 (of geo referenced digital map) however the area from point nO. 44 to 60 is parallel to river. In the absence of muck disposal site in this stretch. there is extreme possibility of rolling down of muck in the river in view of the above points. State govt. is requested to go through the muck disposal plan and submit revised muck disposal plan with complete details and after thorough check which is essential and critical in the hill areas.	मलवा निस्तारण योजना पुनः तैयार कर अतिरिक्त सूचना के Serial No-40 में अपलोड कर दी गयी है।
------	---	--

अतः प्रकरण पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-241 / FP/UK/ROAD/47083/2020/ दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 262/12-1 दिनांक 23.07.2021 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

वे

(डॉ० कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।